संख्या:5/2022/36बीपी/35-1-2022/001-35-1099/25/2021

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक:07 जुलाई,2022

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में लघु सिंचाई विभाग की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या-29/2018/100बीपी/35-1-2018, दिनांक 06 नवम्बर, 2018 द्वारा लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 परियोजनाओं की रू. 33603.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 5240.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 1934.12 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या-10/2019/50बीपी/35-1-2019, दिनांक 13 मई, 2019 द्वारा रू. 4415.00 लाख तथा शासनादेश संख्या- 17/2019/100बीपी/35-1-2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा रू. 23947.00 लाख, इस प्रकार प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु कुल रू. 28362.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 6063.09 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या- 03/2021/15बीपी/35-1-2021, दिनांक 27 जनवरी, 2021 द्वारा रू. 8050.31 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 7418.97 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-12/2021/72बीपी/35-1-2021, दिनांक 02 अगस्त, 2021 द्वारा रू. 13046.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 3665.97 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 तक प्रश्नगत परियोजनाओं के सापेक्ष कुल मिलाकर रू. 19082.15 लाख की धनराशि व्यय की गई है तथा अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू. 14520.85 लाख की धनराशि व्यय करने हेतु अवशेष है।

एतद्द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु पूर्व में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू. 7946.44 लाख (रूपये उन्यासी करोड़ छियालिस लाख चौव्वालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	माह मार्च 2022 तक व्यय धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	चेकडैम का निर्माण	10054.00	7131.87	2922.13	953.07
2	तालाबों का आधुनिकीकरण	13020.00	8107.70	4912.30	1138.99
3	नये डग/ब्लास्टवेल का निर्माण	10529.00	3842.58	6686.42	5854.38
	योग	**33603.00**	**19082.15**	**14520.85**	**7946.44**

1. सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 06 नवम्बर, 2018, दिनांक 13 मई, 2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019, दिनांक 27 जनवरी, 2021 तथा दिनांक 02 अगस्त, 2021 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से किया जायेगा और धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे उक्त दिनांक से पूर्व समर्पित किया जायेगा।
4. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2023 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति (लघु सिंचाई) विभाग का होगा। तदनुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।
6. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 4575028000420 (नये डगवेल का निर्माण (के.100/रा.0-के.))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	040	4575028000420 नये डगवेल का निर्माण (के.100/रा.0-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	58,54,38,000 (रुपये अट्ठावन करोड़ चौवन लाख अड़तीस हजार मात्र)
	कुल			**58,54,38,000** **(रुपये अट्ठावन करोड़ चौवन लाख अड़तीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्षः 4575028000482 (लघु सिंचाई के अन्तर्गत चेक डैमों का निर्माण (के.100/रा.0-के.))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	040	4575028000482 लघु सिंचाई के अन्तर्गत चेक डैमों का निर्माण (के.100/रा.0-के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	9,53,07,000 (रुपये नौ करोड़ तिरपन लाख सात हजार मात्र)
	कुल			**9,53,07,000** **(रुपये नौ करोड़ तिरपन लाख सात हजार मात्र)**

लेखाशीर्षः 4575028000487 (तालाबों का आधुनिकीकरण)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	040	4575028000487 तालाबों का आधुनिकीकरण	24 वृहत् निर्माण कार्य	11,38,99,000 (रुपये ग्यारह करोड़ अड़तीस लाख निन्यानवे हजार मात्र)
	कुल			**11,38,99,000** **(रुपये ग्यारह करोड़ अड़तीस लाख निन्यानवे हजार मात्र)**

महायोग	**79,46,44,000** **(रुपये उनासी करोड़ छियालीस लाख चवालीस हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-ई0-5-29/दस-2022-2023, दिनॉक 07 जुलाई, 2022 (रूपये 933.07 लाख), संख्या-ई0-5-29(1)/दस-2022-2023, दिनॉक 07 जुलाई, 2022 (रूपये 1138.99 लाख) तथा संख्या-ई0-5-29(2)/दस-2022-2023, दिनॉक 07 जुलाई, 2022 (रूपये 5854.38 लाख) मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव

संख्या:5/2022/36बीपी/35-1-2022/001-35-1099/25/2021 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7. जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
8. मुख्य विकास अधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9. कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट/ललितपुर।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।